## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से सम्बन्धित 17 विन्दुओं की सूचना, आवरा जोन, आवरा।

- 1— आगरा जोन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एक जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।
- 2— जनसूचना अधिकारी की शक्तियों/कार्यः— जनसूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गई सूचनाओं को अधीनस्थ परिक्षेत्रों/जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित परिक्षेत्रों/जनपदों को आन्तरित किया जाता है।

सहायक जनसूचना अधिकारी की शक्तियों/कार्यः— अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना को परिक्षेत्र/जनपदों से प्राप्त कर जनसूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना है।

- 3— प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसको सम्बन्धित जनपंदों को सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा 6(3) अन्तर्गत आन्तरित कराना व सूचनाऐं प्राप्त होने पर सूचना सम्बबन्धित को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराना है।
- 4— विहित सीमा के अन्तर्गत सूचनाओं को सम्बन्धित जनपदों से प्राप्त कराना व समय सीमा के अन्तर्गत आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना होना है।
- 5— सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना व कराना।
- 6— दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:--
  - → मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र ।
  - ➡ शासन / अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रार्थना पत्र
  - → पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र
  - 🛶 अपीलीय प्रार्थना पत्र
- 7— सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

- 8- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 9- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।
- 10— सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 11— सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 12— सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 13- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 14— संगठन द्वारा प्रदत्त छूट,अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण—शुन्य
- 15— इलेक्ट्रानिक प्रारूप में उपलब्ध करायी गयी सूचना—उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप से निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है।
- 16 लोकसूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम— अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन, आगरा कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित है:—

क्रम	पदनाम	कार्य
सं0	, ,	
1.	प्रधान लिपिक /	व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा मांगी गई सूचनाओं को
	जनसूचना अधिकारी	अधीनस्थ परिक्षेत्रों / जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित
		को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार
		अधिनियम—2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित परिक्षेत्रों / जनपदों को आन्तरित करना।
2.	आरक्षी ना०पु०	समस्त अभिलेखों का रख-रखाव कराना, आलेख
		प्रस्तुत करना व अनुस्मारक निर्गत कराना एवं
		समस्त दस्तावेजों को अद्यतन करना।

17- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

	RTI NODAL OFFICER DETAILS AGRA ZONE POLICE OFFICE AGRA			
	DEPARTMENT NAME	OFFICE OF THE ADG OF POLICE AGRA ZONE		
2	DEPARTMENT ADDRESS	ZONAL OFFICE, NORTH IDGAH COLONY AGRA		
2	NODAL OFFICER NAME IN ENGLISH	NARENDRA KUMAR GAUTAM		
4	NODAL OFFICER NAME IN HINDI	श्री नरेन्द्र कुमार गौतम		
5	NODAL OFFICER DESIGNATION	HEAD CLERK (SI-M)		
6	NODAL OFFICER OFFICIAL E-MAIL ADDRESS	hc-zone.ag@up.gov.in		
7	NODAL OFFICER OFFICIAL MOBILE NUMBER	7839854679		
8	NODAL OFFICER OFFICE LANDLINE NUMBER	0562-2265736		